संख्या 8067/4(13)/28-217

प्रेषक,

श्री प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

शिक्षा निदेशक,
शिक्षा (माध्यमिक) अनुभाग,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

पर्वतीय विकास अनुभाग-2 दिनांक, लखनऊ, मार्च 1, 1978

विषय :- पर्वतीय क्षेत्र के प्राइवेट हायर सेकेण्डरी स्कूलों (हाईस्कूल/इण्टर कालेज) का प्रान्तीयकरण ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके पत्रांक माध्यमिक/नियोजन/8071-72/37-20(59)/77-78 दिनांक 6 दिसम्बर, 1977 तथा संख्या माध्यमिक/नियोजन/9234-35/37-20 दिनांक 26 दिसम्बर, 1977 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उसमें वर्णित परिस्थिति में राज्यपाल महोदय पर्वतीय क्षेत्र में पार्श्वांकित 9 मान्यता प्राप्त हायर सेकेण्डरी स्कूलों (हाई स्कूल तथा इण्टर कालेज) का मार्च 1, 1978 से प्रान्तीयकरण करने के आदेश देते हैं ।

1- मानिला इ०का० मानीला जिला अल्मोड़ा
2- देवलीखेत इ०का०, देवलीखेत, अल्मोड़ा
3- गाँधी इ०का० जौरासी, अल्मोड़ा
4- श्री राय सिंह बिष्ट उ०मा०विद्यालय कमलेश्वर जिला पियौरागढ़
5- श्रद्धानन्द इ०का०, भृगुखाल पौड़ी गढ़वाल
6- इ०का०, कण्डारा, पौड़ी गढ़वाल
7- इ०का० बैजारो, पौड़ी गढ़वाल
8- इ०का० चोपड़ा (दसज्यूला) चमोली
9- उत्तराखण्ड विद्यापीठ इ०का०, गुप्तकाशी जिला चमोली

2- राज्यपाल महोदय नियुक्ति की तिथि से 28 फरवरी, 1979 तक यदि ये पद इसके पूर्व ही बगैर सूचना के समाप्त न किये जाँय, संलग्नक 1 तथा 11 में दिये गये अस्थायी पदों के सृजन की भी स्वीकृति प्रदान करते हैं । यह पद शिक्षा विभाग के सम्बन्धित सम्वर्ग में अस्थायी वृद्धि के रूप में माने जायेंगे । इन पदों के पदधारियों को समय समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते देय होंगे ।

3- राज्यपाल महोदय शासनादेश में प्रान्तीयकृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकों को अपने विद्यालय से सम्बन्धित व्ययों के लिये आहरण एवं वितरण अधिकारी भी घोषित करते हैं ।

क्र०प०उ०-

4- प्रान्तीयकरण की तिथि से इन विद्यालयों का सम्पूर्ण व्यय राजस्व आय व्ययक से सीधे सरकारी खर्च के रूप में वहन किया जायेगा तथा अन्य राजकीय विद्यालयों की भाँति इन विद्यालयों को भी जिला विद्यालय निरीक्षक के प्रशासनिक अधिकार में दिया जायेगा जो शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रसारित सामान्य निर्देशों के अनुसार इनका संचालन करेंगे । प्रश्नगत विद्यालयों की भूमि, भवन आदि सभी चल तथा अचल सम्पत्ति शासन को स्थानान्तरित कर दी जायेगी । विद्यालय की आय (प्रान्तीयकरण की तिथि तक विद्यालय के अवशेष कोष की कोई रकम जिसमें कोई चन्दे से प्राप्त रकम, दान से प्राप्त धनराशि तथा छात्रों से ली गई फीस की धनराशि सम्मिलित है) राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत सम्बन्धित शीर्षक में जमा कर दी जायेगी । प्रान्तीयकरण पर ये विद्यालय बिना दायित्व तथा अन्य भार के शासन को सौंप दिये जायेंगे तथा प्रान्तीयकरण से पहले की देनदारी यदि बाद में निकल आई, तो उसका दायित्व शासन पर नहीं होगा ।

5- उपरोक्त विद्यालयों में वास्तविक रूप से कार्य कर रहे वर्तमान स्टाफ को जो निर्धारित योग्यता रखते हों, इस शासनादेश में स्वीकृत पदों के विपरीत अस्थायी रूप से नियुक्त किया जायेगा तथा उन पदधारियों का राजकीय सेवा में स्थायी रूप से विलीनीकरण तभी सम्भव होगा जब वे सक्षम अधिकारी अथवा लोक सेवा आयोग द्वारा अन्ततः योग्य घोषित कर दिये जायेंगे ।

6- ऐसे पदधारी जो निर्धारित योग्यता न रखते हों अथवा जिन्हें शासन या सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न हो, का सरकारी सेवा में स्थायी रूप से विलीनीकरण सम्भव नहीं होगा । तदनुसार प्रश्नगत स्टाफ को जिनको उपरोक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाय, चेतावनी दे दी जाय कि नियुक्ति अधिकारी अथवा उपरिलिखित रूप से उनके द्वारा नियुक्ति अधिकारी को लिखित रूप से दिये गये नोटिस के अनुसार उनकी सेवा किसी समय भी एक महीने की पूर्व नोटिस पर समाप्त कर दी जायेगी । ये कर्मचारी अपनी नयी सेवा शर्तों को जो एक अस्थायी राज्य कर्मचारी के अनुरूप होंगी स्पष्ट रूप से स्वीकार करेंगे ।

7- उपरोक्त प्रान्तीयकृत विद्यालयों के यात्रा एवं अन्य आकस्मिक व्यय मदों के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरणों के अनुसार राज्यपाल महोदय वर्तमान वर्ष (1977-78) में 1,74,000 रु0 (केवल एक लाख चौहत्तर हजार रुपया) की धनराशि आपके अधिकार

कृ0 प0 उ0 -

रखते हैं :

	(8) इण्टर कालेज	(1) हाई स्कूल
1- यात्रा भत्ता-(1) इण्टर कालेज 1500 रू0 प्रति विद्यालय (2) हाई स्कूल 1000 रू0 प्रति विद्यालय	12000	1000
2- कार्यालय आकस्मिक व्यय(1) इण्टर का0 3500 रू0 प्रति विद्यालय (2) हाई स्कूल 3000 रू0 प्रति विद्यालय	~~40,000~~ 28,000	3000
3- साज सज्जा एवं काष्ठोपकरण- (1) 5000 रू0 प्रति इण्टर कालेज (2) 3000 रू0 प्रति हाई स्कूल	40,000	3000
4- भवन परिवर्तन एवं परिवर्धन (1) 10000 रू0 प्रति इण्टर कालेज (2) 7000 रू0 प्रति हाई स्कूल	80,000	7000
योग	1,60,000	14,000

महायोग 1,74,000 रू0

8- परिभाग- 7 में स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान नियमों तथा स्टोर पर्चेज के अनुसार किया जाय ।

9- प्रस्तर 7 में उल्लिखित व्यय वर्ष 1977-78 के लेखा शीर्षक ''299- विशेष एवं पिछड़े हुये क्षेत्र, आयोजनागत -पर्वतीय क्षेत्र -ग- शिक्षा (ख) माध्यमिक-111- राजकीय माध्यमिक विद्यालय-~~(2)~~ (1)- अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का प्रान्तीयकरण'' के नाम लिखा जायेगा ।

10- प्रान्तीयकृत विद्यालयों के लिये सृजित किये गये पदों से सम्बन्धित व्यय वर्ष 1978-79 के आय व्ययक शीर्षक ''299- विशेष एवं पिछड़े हुये क्षेत्र -ग- शिक्षा-(ख)- माध्यमिक-111- राजकीय माध्यमिक विद्यालयों (1x) अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का प्रान्तीयकरण'' के नाम लिखा जायेगा ।

उपरोक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि होने वाला व्यय लेखानुदान एवं सम्बन्धित विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत निधि से पारित हो और अनुवर्ती अवधि में जो लेखानुदान के अन्तर्गत नहीं है, के लिये धन वित्तीय वर्ष 1978-79 के मूल आय व्ययक तथा सम्बन्धित विनियोग अधिनियम द्वारा उपलब्ध हो जाय ।

11- ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-11/1062/दस दिनांक मार्च 2, 1978 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय

ह0 प्रताप सिंह
उप सचिव

...7(1)/4(13)/28-2-77, तद्दिनांक

प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से

(प्रताप सिंह)
उप सचिव

संख्या 8067(2)/4(13)/28-2-77, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, शिविर कार्यालय, लखनऊ ।
2- संयुक्त शिक्षा निदेशक (पर्वतीय), 18 पार्क रोड, लखनऊ ।
3- जिला विद्यालय निरक्षक, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली तथा पौड़ी गढ़वाल ।
4- उप शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल ।
5- उप शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल ।
6- प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक, सम्बन्धित विद्यालय ।
7- वित्त व्यय नियन्त्रण ।। अनुभाग/शिक्षा (2) अनुभाग, उ0प्र0, सचिवालय ।

आज्ञा से

ह0 प्रताप सिंह
उप सचिव

शासनादेश संख्या 8067/4(13)/28-2-78, दिनांक मार्च 1, 1978 में स्वीकृत स्टाफ का विवरण

पद एवं वेतन क्रम	अद्यानंद इं0का0 भगखाल पौडी-गढ़वाल	इं0का0 क्वाडारा पौडी-गढ़वाल	इं0का0 वैजरो पौडी गढ़वाल	इं0का0 चौपडा (दसज्यूला) चमोली	उत्तराखण्ड विद्यापीठ इं0का0, गुप्तकाशी, चमोली	महायोग
1- प्रधानाचार्य- 550-30-700-द0रो0-40-900-50-1200	1	1	1	1	1	8
2- प्रधानाध्यापक-450-25-575-द0रो0-30-725-द0रो0-35-900, 50,-950	-	-	-	-	-	1
3-प्रवक्ता- 400-15-475-द0रो0-20-573-द0रो0-25-750	8	5	4	5	9	52
4- सहायक अध्यापक-300-10-350-द0रो0-12-470-द0रो0-25-550 (एल0टी0)	4	7	4	6	5	44
5- सहायक अध्यापक-250-7-285-द0रो0-9-375-द0रो0-10-425 (सी0टी0)	6	9	4	5	5	57
6- प्रधान लिपिक-230-6-290-द0रो0-9-335-द0रो0-10-385	1	1	1	1	1	8
7- लिपिक- 200-5-250-द0रो0-6-280,-द0रो0-8-320	2	2	2	2	2	16
8- दफ्तरी-170-2-184-द0रो0-3-205-द0रो0-4-225	1	1	1	1	1	9
9- चतुर्थ वर्ग कर्मचारी-165-2-185-द0रो0-3-215	7	7	5	5	6	50

ह0 प्रताप सिंह
उप सचिव ।